बेतवा नदी बोर्ड के कर्मकारों का दैनिक वेतन

4089. श्री शरद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री 24 अप्रैल, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 761 के दिए गए उत्तर को देखगें और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतवा नदी बोर्ड में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का संख्या कितनी हैं और अप्रैल, 1987 के महीने तक प्रत्येक कर्मचारी को किस दर पर दैनिक वेतन का भुगतान किया गया है और क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम दर पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) बेतवा नदी बोर्ड में न्यूनतम वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तथा मानदंड क्या-क्या है और इसका निर्धारण किस स्तर पर किया जाता है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन सिंचाई परियोजनाओं में दैनिक वेतन-भोगी कर्मकारों के लिये क्या न्यूनतम दैनिक वतन निर्धारित है?

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) से (ग) बेतवा नदी बोर्ड में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों की संख्या 618 (मार्च, 87) है। उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित की गई 9.50 रुपए प्रतिदिन की दर की अपेक्षा 13.50 रुपये प्रतिदिन की दर से न्यूनतम वेतन दिया जाता है। इस क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निश्चित दो न्यूनतम वेतन दरों में से अधिकतम दर को स्वीकार करके मुख्य इंजीनियर द्वारा न्यूनतम दरें निश्चित की जाती हैं।

Allotment of land to group housing societies at Papan Kalan, Delhi

4090. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the DDA had acquired about 1500 acre of land three years back in Papan Kalan behind Palam Airport for allotment to 1500 cooperative housing societies registered with the DDA;

(b) if so, what are the reasons for delay in allotment of this land to the societies;

(c) what are the rates at which the DDA propose to allot this land and by when this land is likely to be allotted to the societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) 4,600 acres of land has been acquired and handed over to DDA only in September, '86. After this land is developed, this will be allotted to the Societies.

(c) The provisional rate fixed is Rs. 474|- per sq. mtr. DDA is presently considering the fixation of the final rates.

साउथ मोती बाग में शास्त्री मार्कीट के दुकानदारों के पास दोहरे राशन कार्डो का होना

4091. श्री चतुरानन मिश्र : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शास्त्री मार्कीट, साउथ मोती बाग, नई दिल्ली के दुकानदारों के पास दोहरे राशन कार्ड हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करवाने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।